



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09112022-240148
CG-MH-E-09112022-240148

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]
No. 549]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/कार्तिक 18, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/KARTIKA 18, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 नवम्बर, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/98.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,-
 - विनियम 8 में,
 - उप-विनियम (2) में, खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्, -

“परंतु यह कि खंड (घ) के अनुसार निर्धारित की गई कीमत, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश के मामले में लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि यह परंतुक केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियंत्रण में परिवर्तन होने के मामले में लागू होगा।”

ख) उप-विनियम (3) में, खंड (ड) में, शब्दों तथा चिह्न “बारंबार व्यापारित हों;” के बाद और शब्द “और” से पहले निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“परंतु यह कि खंड (ड) के अनुसार निर्धारित की गई कीमत, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश के मामले में लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि यह परंतुक केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियंत्रण में परिवर्तन होने के मामले में लागू होगा;”

II. विनियम 22 में,

क) उप-विनियम (2) में, शब्दों “बराबर की नकद रकम” के बाद और चिह्न तथा शब्द “, निलंब खाते में” से पहले, शब्द और चिह्न “या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) के प्रबंधक के पक्ष में शर्त रहित और रद्द न की जा सकने वाली बैंक गारंटी (वशर्त कि उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी ली जाए)” आ जाएंगे।

ख) उप-विनियम (2) में, परंतुक से पहले, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण- उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ, बैंक गारंटी केवल ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की जाएगी जिसके किसी दीर्घकालिक ऋण लिखत (डैट इंस्ट्रुमेंट) को, बोर्ड से रजिस्टर साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) से, ‘एएए’ (AAA) की रेटिंग मिली हो।”

माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./372/2022-23]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 तत्पश्चात् :
 - क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा
 - ख) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
 - ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा
 - ड) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी.एन.आर.ओ./ ओ.आई.ए.ड./जी.एन./2015-16/004, द्वारा

- च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा
- छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा
- ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा
- झ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002, द्वारा
- ञ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा
- ट) 14 अगस्त, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/015, द्वारा
- ठ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/20, द्वारा
- ड) 11 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/33, द्वारा
- ढ) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/55, द्वारा
- ण) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/06, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/27, द्वारा
- थ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- द) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/14, द्वारा
- ध) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/19, द्वारा
- न) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/20, द्वारा
- प) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/19, द्वारा
- फ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा

- ब) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/46, द्वारा
- भ) 6 दिसम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/60, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th November, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/98.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, -

I. In regulation 8,

- a) in sub-regulation (2), after clause (d), the following provisos shall be inserted, namely, -

“Provided that the price determined as per clause (d) shall not apply in the case of disinvestment of a public sector undertaking by the Central Government or a State Government, as the case may be:

Provided further that this proviso shall apply only in case of a change in control in the public sector undertaking.”
- b) in sub-regulation (3), in clause (e), after the words “frequently traded;” and before the word “and” the following provisos shall be inserted, namely, -

“Provided that the price determined as per clause (e) shall not apply in the case of disinvestment of a public sector undertaking by the Central Government or a State Government, as the case may be:

Provided further that this proviso shall apply only in case of a change in control in the public sector undertaking;”

II. In regulation 22,

- a) in sub-regulation (2), after the word “cash” and before the words “of an amount” the words and symbol “or providing unconditional and irrevocable bank guarantee issued in favour of the manager to the open offer by any scheduled commercial bank, subject to the approval of the Reserve Bank of India,” shall be inserted.

- b) in sub-regulation (2), before the proviso, the following Explanation shall be inserted, namely, -

“Explanation. - For the purpose of sub-regulation (2), bank guarantee shall only be issued by such scheduled commercial bank having ‘AAA’ rating from a credit rating agency registered with the Board, on any of its long term debt instrument.”

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./372/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011 12/24/30181.
2. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were subsequently amended on:
 - a) March 26, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012 13/36/7368.
 - b) October 8, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
 - c) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - d) March 24, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542.
 - e) May 5, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004.
 - f) August 14, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD NRO/GN/2015-16/009.
 - g) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026.
 - h) February 17, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.
 - i) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/002.
 - j) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated March 29, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
 - k) August 14, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015.

- l) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/20.
- m) September 11, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/33.
- n) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2018/55.
- o) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/06.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/27.
- q) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- r) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/14.
- s) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/19.
- t) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/20.
- u) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2021/19.
- v) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- w) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2021/46.
- x) December 6, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO / GN/ 2021/60.